यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

HO/Finance/Share/246/2018-19

Date: 01.03.2019

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

The Manager
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Floor 25
Pheroj Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Re: Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of Bank to be held on 25.03.2019.

We inform that pursuant to Regulation 57 of UCO Bank (Shares & Meetings) Regulation 2003, the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 25th March, 2019 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business.

Approval for issue of 175,17,09,626 (One hundred Seventy Five crore Seventeen lakh Nine thousand Six hundred twenty Six) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs. 19.01 (Rupees Nineteen and paise One only) including premium of Rs.9.01 (Rupees Nine and paise One only) per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018, aggregating to Rs. 3330 crore (Rupees Three thousand Three hundred Thirty crore only) on preferential basis to Government of India.

Notice of Extraordinary General Meeting is attached.

This is for your perusal.

Yours faithfully,

(N Purna Chandra Rao)
Company Secretary

UCO Bank / यूको बैंक / वित्त FINANCE / प्र०का० / H.O. / 2, India Exchange Place, Kol-1

UCO Bank, Finance Department, Head Office, 3rd Floor, 02, India Exchange Place, Kolkata – 700 001
Phone:: 44557227, 44557221 Fax: 033 22485625 E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

यूको बैंक

UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु सूचना

सोमवार, 25 मार्च, 2019

पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Monday, 25th March, 2019

11.00 a.m.

प्रधान कार्यालय : 10, बि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / **Website : www.ucobank.com**

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में निम्नलिखित कार्य को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी:

भारत सरकार को आधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर निर्गत करना।

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवयकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएँ, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा जो सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुसरण में निर्धारित कुल रु. 3330 करोड़ (रुपये तीन हजार तीन सौ तीस करोड़ मात्र) के प्रतिशेयर रु. 9.01 (नौ रुपये एक पैसा मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति ईक्विटी शेयर रु. 19.01 (उन्नीस रुपये एक पैसा मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रु.10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 175,17,09,626 (एक सौ पचहत्तर करोड़ सत्रह लाख नौ हजार छह सौ छब्बीस रुपये मात्र) ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त निर्गम अधिमानिता के लिए संबंधित तारीख 22 फरवरी, 2019 होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ निदेशक मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें निदेशक मंडल की सहमति हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त ईक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय यदि होतो लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके द्वारा निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवयकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ऐ. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 27.02.2019

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 25th March, 2019 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business:

Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

To consider and if thought fit pass the following resolution as a special resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot 175,17,09,626 (One hundred Seventy Five Crore Seventeen lakh Nine thousand Six hundred twenty six only) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs. 19.01 (Rupees Nineteen and paise one) per equity share including premium of Rs.9.01 per share (Rupees Nine and paise one) per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 aggregating to Rs. 3330 crore (Rupees Three Thousand and three hundred thirty Crore only) on preferential basis to Govt. of India."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the aforesaid preferential issue is 22nd February, 2019."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board Directors

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 27.02.2019

नोटः

व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न किया जाता हैः

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी बुधवार, 20 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा परंतु वह अपने स्वीकृतिकर्ता की ओर से उपस्थित होकर मतदान कर सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 में इस असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानि बुधवार, 20 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मदों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एंड कं., कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं रीति निम्नानुसार होगी

(क) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे शेयरधारकों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है और जिनके पास अपना विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है।

i. ई-मेल खोलें और पासवर्ड के रूप में अपने क्लायंट आईडी या फोलियो नं. से पीडीएफ फाइल अर्थात 'यूकोबैंक ई-वोटिंग पीडीएफ खोलें। उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।

Notes:

The explanatory statement is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 P M on Wednesday, the 20th March, 2019. Any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation, 2003.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at meeting but such proxy can attend and vote on behalf of grantor.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 pm on Wednesday, the 20th March, 2019.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/ Proxy holders /Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

(A) Instructions in respect of remote e-voting to Shareholders of the Bank whose demat account/folio in number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

   i. Open e-mail and open PDF file viz; 'UCO Bank e-voting pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

iii. शेयरहोल्डर "लॉगइन" पर क्लिक करें।

iv. उपर्युक्त स्टेप (i) में नोट किया गया अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में लिखें। फिर से क्लिक करें।

v. पासवर्ड चेंज मेनू दिखाई पड़ेगा। पासवर्ड को अपने मनचाहे पासवर्ड से बदलें जिसमें न्यूनतम 8 अंक/कैरेकटर या दोनों का मिश्रण हो। कृपया इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

vi. "ई-वोटिंग" का होम पेज खुलेगा। "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

vii. यूको बैंक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेंट नम्बर (EVEN) का चयन करें।

viii. "मतदान करे" ('Cast Vote') पृष्ठ खुलेगा। अब आप "ई-वोटिंग" कर सकते हैं। मतदान (वोटिंग) दिनांक 22 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 9 बजे से शुरु होकर दिनांक 24 मार्च, 2019 को अपराह्न 5 बजे तक चलेगा।

ix. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर "कन्फर्म" ('Confirm') भी करें।

x. पुष्टि (कन्फॉर्मेशन) हो जाने पर "मतदान सफलतापूर्वक हुआ" ("Vote cast successfully) प्रदर्शित होगा।

xi. कारोबार मद पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों को छोड़ कर, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे सदस्यों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्वी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत किया जा चुका है।

i. यूआरएल : https://evoting.karvy.com टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

ii. शेयरहोल्डर "लॉगइन" पर क्लिक करें।

अपना यूजर आईडी और विद्यमान पासवर्ड प्रविष्ट करें (यदि अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।

iii. "लॉगइन" क्लिक करें

iv. "ई-वोटिंग" का होम पेज दिखेगा। "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।

v. कारोबार की मद के पक्ष में अपना वोट देने के लिए यूको बैंक के ई-वोटिंग ईवेन नं. (EVEN) का चयन करें। (कृपया यह नोट करें कि एक बार मतदान करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है)। संकल्प पर मतदान करने तक या वोटिंग अवधि की समाप्ति तक अर्थात 24.03.2019 (भारतीय मानक समय) के अपराह्न 5 बजे तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक ईवेन (EVEN) के लिए आप कार्वी के ई-मतदान प्लॉटफॉर्म पर जितनी बार चाहें लॉगइन कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 22.03.2019 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा।

vi. "मतदान करे" ('Cast Vote') पृष्ठ खुलेगा। अब आप "ई-वोटिंग" कर सकते हैं।

vii. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर "कन्फर्म" ('Confirm') भी करें।

viii. संकल्प पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ix. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों को छोड़ कर, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-voting" opens. Click on "ë-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of UCO Bank.

viii. Now you are ready for "e-Voting" as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 9 a.m. on 22nd March, 2019 and ends at 5 p.m. on 24th March,, 2019.

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

(B) Instructions in respect of remote e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com).

iii. Click "Login"

iv. Home page of "e-voting" appears. Click on "e-Voting"- Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Even Number (EVEN) of UCO Bank for casting your vote in favour of/ against the item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e. up to 5 p.m. on 24.03.2019, whichever is earlier. Voting period commences from 9 a.m. on 22.03. 2019.

vi. Now you are ready for 'e-voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

कृपया नोट करें कि :

- पोस्टल बैलट फॉर्म द्वारा या ई-वोटिंग प्लॉटफॉर्म पर मतदान करनेवाले शेयरधारकों के मताधिकार दिनांक 18.03.2019 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की पेड अप ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- गलत पासवर्ड डाल कर पाँच बार असफल प्रयास करने के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में इसे रीसेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध "पासवर्ड भूल गए" ('Forgot Password') विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगइन आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कंपनियों, जिसमें आप शेयरधारक हैं, के संकल्प (संकल्पों) पर ई-वोटिंग करने के लिए ही आप द्वारा किया जा सकेगा।
- इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- ई-वोटिंग की सुविधा दिनांक 24 मार्च 2019 को अपराह्न 5 बजे के बाद समाप्त कर दी जाएगी।
- अनेक फोलियो / खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाता के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया को अपना सकता हैं। तथापि, शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक को बैंक के कुल शेयरधारण के 10% से अधिक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपको ई-वोटिंग के मामले में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो या कोई मामला हो तो श्री एस.वी.राजू, उप महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक, प्रा.लि, कार्वी सेलेनियम टावर, प्लाट नं. 31-32, गाचिबोउली, फाइनैंसियल जिला, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 से संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@karvy.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनावः

रिमोट ई-मतदान के अलावा, बैठक स्थल पर मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 18.03.2019 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी फिनटेक (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

Please note that:

- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the Cut-off date i.e. 18.03.2019 for Shareholders voting by remote e-voting and voting at the Meeting.
- Login to e-voting Website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution (s) placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- The e-voting facility shall be blocked forthwith on 24th March 2019 at 5 p.m.
- Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- In case you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Fintech Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serillingampally, Hyderabad - 500 032 or write an email to einward.ris@karvy.com.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 18.03.2019

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Fintech (P) Limited).

सूचना का अनुलग्नक

व्याख्यात्मक विवरण

आधिमानी आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर निर्गत करना

सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बैंक बैंककारी तथा संबंधित कार्य करता है। अभी बैंक की प्राधिकृत पूँजी रू 6,000 करोड़ है। बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रू 5,423.40 है। भारत सरकार के पास रू 5,059.44 करोड़ की होल्डिंग है जो बैंक की सकल प्रदत्त पूंजी का 93.29% है।

बासेल III के अनुसार 31 दिसंबर, 2018 को जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी निधि इस प्रकार थी:

विवरण	राशि (रू.) करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी निधि का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	99957.17	
टियर I पूँजी	7141.41	7.14
टियर II पूँजी	2187.06	2.19
कुल पूँजी	9328.47	9.33

बैंक की टीयर -I पूँजी को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ संख्या 7/23/2019 - बीओए दिनांक 19.02.2019 के माध्यम से बैंक की ईक्विटी पूँजी में अधिमानी आबंटन के जरिए रू. 3,330 करोड़ की पूँजी लगाने की संस्वीकृति से अवगत कराया तथा बैंक ने यह पूँजी अंशदान 21.02.2019 को प्राप्त कर लिया है।

निदेशक मंडल ने 27.02.2019 को अधिमानी आबंटन के माध्यम से सरकार को ईक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बैंक ने भारत सरकार से अनुरोध किया है की वह रू. 6000 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी को बढ़ाकर रू. 10,000 करोड़ करने की अनुमति उसे दे। इस अनुमोदन की प्रतीक्षा है। प्रस्तावित अधिमानी निर्गम सभी विनियामक अनुमोदनों के प्राप्त हो जाने के बाद आबंटित किए जाएँगे।

इस प्रकार उत्थापित पूँजी का उपयोग बैंक के सामान्य ईक्विटी एवं टीयर-I पूँजी बढ़ाने में किया जाएगा।

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार द्वारा जो बैंक का प्रवर्तक है, सब्सक्राइब किया जाएगा।

ग) निर्गम मूल्य आज तक यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित होगा/हुआ है। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 22 मार्च, 2019 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य रू. 19.01 प्रति ईक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है।

घ) बैंक अधिमानिता निर्गम के तहत भारत सरकार को रू. 19.01 प्रतिशेयर के निर्गम मूल्य के 175,17,09,626 ईक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव करता है। आबंटन के लिए किसी विनियामक प्राधिकार का या भारत सरकार का अनुमोदन यदि लंबित न रहे तो विशेष संकल्प के बाद ऐसे संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आबंटन पूरा कर लिया जाएगा। वैसी दशा में 15 दिनों की अवधि की गणना ऐसे अनुमोदन के प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।

ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT

Issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2018 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.6,000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs.5,423.40 Crore with Government of India holding Rs.5059.44 Crore constituting 93.29% of the total paid-up equity capital of the Bank.

As of 31st December, 2018 the Capital Fund to Risk Weighted Assets under Basel-III was as under-

Particulars	Amount (Rs.in Crore)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	99957.17	
Tier-I Capital	7141.41	7.14
Tier-II Capital	2187.06	2.19
Total Capital	9328.47	9.33

In order to strengthen Tier I Capital of the Bank, Government of India vide their letter F. No. 7/23/2019 - BOA dated 19.02.2019 communicated its sanction to infuse capital to the extent of Rs. 3,330 crore in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment and the capital contribution was received by the Bank on 21.02.2019.

The Board of Directors has approved the proposed issue of equity shares to Government through preferential allotment on 27.02.2019. Bank had requested Government of India to accord permission for increase of authorized capital from Rs. 6000 Crore to Rs. 10,000 Crore and permission is awaited. Shares under the proposed the preferential issue will be allotted subsequent receipt of all the regulatory approvals.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier - I capital of the Bank.

b) The entire issue will be subscribed by the Government of India - Promoter of the Bank.

c) The Issue Price shall be/has been determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 as amended up to date. The issue price so determined is Rs. 19.01 per equity share considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 22nd March, 2019.

d) Bank proposes to allot 175,17,09,626 equity shares at an issue price of Rs.19.01 per share to Government of India under the preferential issue. Allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 days from the date of passing of such resolution, provided that any approval or permission by an regulatory authority or Central Government approval for allotment is pending, the period of 15 days shall be counted from the date of such approval.

ङ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	505,94,39,780	93.29	681,11,49,406	94.93
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता	36,39,58,424	6.71	36,39,58,424	5.07
ग.	कुल	542,33,98,204	100.00	717,51,07,830	100.00

च) चूँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छ) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।

झ) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व-अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।

ज) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित होता हो कि इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है जिसे असाधारण आम बैठक के पटल पर रखा जाएगा।

ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ट) भारत सरकार ने प्रासंगिक तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

ठ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 160 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के बर अक्स बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

ड) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।

ढ) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक अवरुद्ध रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

ण) बैंक और इसके निदेशकगण इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं हैं।

त) आपके निदेशकगण सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

थ) बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी और उनके संबंधीगण में से कोई इस संकल्प से संबंधित और रुचि रखनेवाले नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ऐ. के. गोयल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 27.03.2019

e) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding (Government of India)**	505,94,39,780	93.29	681,11,49,406	94.93
B.	**Non –Promoter Holding**	36,39,58,424	6.71	36,39,58,424	5.07
C.	**Total**	542,33,98,204	100.00	717,51,07,830	100.00

f) As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

g) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

h) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.

i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

j) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations 2018, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-av-s offering shares to all the shareholders of the Bank.

m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

o) The Bank or its directors are not declared as willful defaulters.

p) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

q) None of the Directors of the Bank, the key managerial personal or their relatives are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board Directors

sd/-

(A. K. Goel)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata
Date : 27.03.2019

जिन शेयरधारकों के पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं उनको अपने शेयरों को अमूर्त कराने के लिए स्मरण-पत्र

यूको बैंक में शेयर ट्रेडिंग के अंतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तिकरण

ग़जट अधिसूचना दिनांक जून 8, 2018 द्वारा अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 में हुए संशोधन के आलोक में शेयरों के सभी अंतरण दिनांक दिसंबर 05, 2018 से अनिवार्य रूप से सिर्फ अमूर्त रूप में किए जाने थे, बाद में इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2019 कर दिया गया। बैंक ने इस अपेक्षा की सूचना व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से दिनांक 15.10.2018 और दिनांक 22.01.2019 को असाधरण आम बैठक के सूचना के माध्यम से दी है।

तदनुसार, 01.04.2019 से कोई शेयर भौतिक रूप से अंतरित नहीं किया जा सकेगा। तथापि उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के ट्रांस्मिशन अथवा ट्रांस्पोजिशन के लिए लागू नहीं होंगे।

उक्त संशोधनों के आलोक में बैंक के शेयरधारकों से जो यूको बैंक के भौतिक शेयर धारण करते हैं, एक बार फिर अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को अमूर्त कर लें। शेयरधारक अपना डीमैट खाता नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपोजिटरीज़ लि. अथवा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लि. इन दोनों में से किसी डिपोजिटरी में किसी भी डिपोजिटरी भागीदार के माध्यम से खोल सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने के लाभ इस प्रकार हैं :

i. भौतिक रूप में रखे गए शेयर प्रमाणपत्र के नष्ट होने अथवा खो जाने की संभावाना समाप्त हो जाती है।

ii. शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के साथ कपट होने, या फाड़ दिए जाने या कट-फट जाने की संभावना भी नहीं रह जाती।

iii. अमूर्तिकरण से शेयरों की कागज विहीन खरीद-बिक्री आसान तथा सुविधाजनक बन जाती है।
एकबार जब डीपी के साथ डीमैट खाता खुल जाए तो शेयरधारक शेयर की खरीद तथा बिक्री बिना किसी काग़जी कार्रवाई के, जैसा कि भौतिक शेयर प्रमाणपत्र आधारित लेनदेन में होता है, इलेक्ट्रानिक रूप में ही कर सकते हैं।

iv. डीमैट रूप में शेयरों के अंतरण में स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के अमूर्तिकरण की प्रक्रिया :

1. जिन शेयर धारकों के पास डीमैट खाता नहीं है उनके लिए :

शेयरधार (कों) को किसी भी डिपोजिटरी भागीदार (डीपी) के पास जाकर उस डीपी के पास उसी नाम में जिस नाम (मों) में यूको बैंक का शेयर है, एक डीमैट खाता खोलना होगा। डीमैट खाता खुलने के बाद शेयरधारक को सम्यक रूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध पत्र (डीआरएफ) के साथ अपना मूल शेयर प्रमाणपत्र डीपी के पास समर्पित कर देना होगा वह उसे बैंक के आरटीए यथा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. के पास भेज देगा। आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाएगा तो शेयरों को अमूर्त कर दिया जाएगा तथा आरटीए के द्वारा उन शेयरों के बराबर मूल्य के शेयर डीमैट खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

2. जिन शेयर धारकों के पास डीमैट खाता है उनके लिए :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है उनके अपेक्षा है कि वे यह देख लें कि उनका वह खाता यूको बैंक के शेयरहोल्डिंग के नाम (मों) में तथा उसी तरीके से है। यदि ऐसा है तो शेयरधारक (कों) को सम्यकरूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध पत्र (डीआरएफ) के साथ अपना मूल शेयर प्रमाणपत्र को अमूर्तिकरण के लिए डीपी के पास प्रस्तुत करना होगा।

यदि विद्यमान डीमैट खाता उसी क्रम तथा नाम में नहीं है तो शेयरधारक (कों) से अपेक्षा होगी कि वे दिशानिर्देश के लिए अपने डीपी से संपर्क करें। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र ऊपर स्पष्ट किए गए तरीके से अपने शेयरहोल्डिंग को भौतिक रूप से डीमैट रूप में बदल दें।

शेयरधारकों को अपने पैन तथा बैंक विवरण देने के लिए स्मरणपत्र

पैन तथा बैंक विवरण का अनिवार्य अद्यतनीकरण

सेबी के 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसरण में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर फोलिओ में पंजीकरण के लिए अपना पैन तथा बैंक विवरण मे. कार्वी फिनटेक प्रा. लि, हैदराबाद को उपलब्ध कराएं। बैंक ने इस अपेक्षा की सूचना व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से दिनांक 15.10.2018 को दी है। शेयरधारकों से फिर अनुरोध है कि अभिलेख को अद्यतनित करने के लिए वे इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर निम्नलिखित विलेख उपलब्ध कराएं:

- सम्यक रूप से भरे गए तथा सभी शेयरधार (कों) द्वारा हस्ताक्षरित फार्मेट
- सभी शेयरधारक (कों) के पैन कार्ड की उनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित प्रति (यां)
- रद्द किया हुआ चेक पन्ना जिस पर उनका नाम लिखा हो (यदि नाम चेक के पन्ने पर छपा हुआ नहीं हो तो पास-बुक के पहले पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति)
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर पहचान-पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट)

यदि पैन/बैंक विवरण हमारे रजिस्ट्रार के पास पहले से ही अद्यतनित हों, तो इसकी ज़रूरत नहीं है।

REMINDER TO SHAREHOLDERS WHO ARE HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES

Mandatory dematerialisation for transfer of securities of shareholding in UCO Bank.

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. December 05, 2018 subsequently the date is extended to 1st April 2019. Bank has informed about above requirements through personalized letters on 15.10.2018 and through EGM Notice dated 22.01.2019.

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities,

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz, National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

Advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Cases of forgery or tearing or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialisation provides the ease and convenience of Paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a DP, shareholder can buy or sell shares in electronic form without any paperwork as applicable to Physical share certificate based transaction(s).

iv. No stamp duty is payable on transfer of shares in Demat form.

Process for Dematerialization of shares in Physical form:

1. For shareholder(s) who are not having a Demat account :

The shareholder(s) is/are required to approach any Depository Participant (DP) and open a Demat Account with a DP in the same name(s) and style in which the shareholder(s) holds shares in UCO Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the Original Share Certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTAs, i.e. Karvy Fintech Pvt. Ltd. The RTAs will scrutinize/verify the DRF and, if, found in order, the shares will be dematerialized and equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s) by RTAs.

2. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder(s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in UCO Bank. If yes, shareholder (s) has to submit duly filled in and signed DRF alongwith original share certificate to the DP for dematerialization of the shares.

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance, We request you to convert your Shareholdings from physical form to Demat form at the earliest in view of the advantages of Demat holding as explained above.

REMINDER TO SHAREHOLDERS FOR PROVIDING PAN & BANK DETAILS

Mandatory recording of PAN & Bank details

Pursuant to SEBI circular dated 20th April, 2018, the shareholders are requested to furnish PAN and Bank Account particulars to M/s. Karvy Fintech Private Limited, Hyderabad, for registration in the folio within 21 days from the receipt of the letter. Bank has informed about above requirements through personalized letters on 15.10.2018. The shareholders are once again requested to submit the following documents within 21 days from the receipt of this letter to update the records:

- Duly filled in format and signed by all the shareholder/s
- Self-attested copy/ies of Pan Card/s of all the Shareholder/s
- Cancelled Cheque leaf with name (if name is not printed, self-attested copy of the pass book first page)
- Address proof (self-attested copy of Aadhaar-card or Voter ID or Driving License or Passport)

If PAN/Bank Mandate details are already updated with our Registrars, this can be ignored.

FORMAT FOR FURNISHING THE PAN AND BANK DETAILS

To
Karvy Fintech Private Limited, Unit: UCO BANK
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

Unit: UCO BANK : Folio No:

I/We furnish below our folio details along with PAN and Bank Accounts details for updation and confirmation of doing the needful. I/We are enclosing the self-attested copies of PAN cards, original cancelled cheque leaf with name (if name is not printed, self-attested copy of the first page of the pass book of the Bank) and address proof viz., Aadhaar card of all the shareholder(s) for the said purpose :

Folio No.	
Address of the 1st named shareholder as per the share certificate	
Mobile No	
E-Mail id	

Bank Account Details : (for electronic credit of unpaid dividends and all future dividends)			
Name of the Bank			
Name of the Branch			
Account Number (as appearing in your cheque book)			
Account Type (Saving / Current / Cash Credit)	**Saving**	**Current**	**Cash Credit**
9 Digit MICR Number (as appearing on the MICR cheque issued by the bank) Please enclose a photocopy of a cheque for verification			
11 Digit IFSC Code			

	PAN No.	**Name**	**Signature**
First Holder :			
Joint Holder 1 :			
Joint Holder 2 :			

Date :

Place :

NB: The above details will not be updated if the said documents are not attached and not duly signed by all the shareholder(s). The shareholders who have already submitted the aforesaid documents, may please ignore this letter.

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त न हों)		(यदि शेयर अमूर्त हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं/हम .... निवासी............................... जिला ....राज्य .... यूको बैंक, कोलकाता का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी ....जिला .... राज्य को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती .... निवासी ....जिला ....राज्य .... को 25 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027 में या इसकी स्थगित तिथि को यूको बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं / करते हैं।

दिनांक................................ 2019 को .... दिन हस्ताक्षरित।

कृपया एक रुपये का राजस्व टिकट चिपकाएं

परोक्षी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

....

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नामः ....

पताः ....

....

....

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
   (क) व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उसके/लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयर धारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. जिस परोक्षी लिखत पर शेयर धारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम होने के कारण अंगूठा निशान अंकित करता है वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तिथि से चार दिन पहले, अर्थात व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले, अर्थात 20 मार्च, 2019 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले यूको बैंक, वित्त विभाग, (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता 700001 में जमा की जानी चाहिए।
4. कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वह **फार्म "बी"** पर एवं विधिवत स्टाम्पित न हो।
5. बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों को स्वीकृत की गई हो तो एक फार्म से ज्यादा निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. जिस शेयर धारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. यूको बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700001

Form 'B'

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I/We ________________________________ resident/s of ________________________________ in the district of ________________________ in the state of ________________ , being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. ___________________________ resident of _________________________________ in the district of ________________________________ in the state of ___________________________ or failing him, Shri/Smt. ______________________ resident of __________________________________ in the district of __________________________ in the state of ________________ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on 25th March, 2019 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this……………..day of………..2019

Please Affix Rs.1/- Revenue Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named/sole Shareholder

Name : ....

Address :..

....

Instructions for Signing and Lodging the Proxy form

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), No.2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Bank i.e. up to 5.00 PM on 20th March, 2019.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिन एवं समय : 25 मार्च, 2019 समय : प्रात:11.00 बजे

स्थानः भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर
कोलकाता - 700027

मैं एतद्‌द्वारा बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

प्रवेश पत्र

असाधारण आम बैठक

दिन एवं समय : 25 मार्च, 2019 समय : प्रात:11.00 बजे

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

सदस्य / परोक्षी का नाम बड़े अक्षरों में	फोलियो / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षरित उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला अंश शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया जाएगा जिसे वे बैठक के अंत तक संभालकर रखें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700001

(मतदान काउंटर पर जमा कर दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अभौतिक न हों)	(यदि शेयर अभौतिक हों)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

तारीख : 25 मार्च, 2019

UCO BANK

10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Attendance Slip

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date &Time : 25th March, 2019 at 11.00 A M.

Venue: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Name of the Shareholder/Proxy/ Representative present	Regd.Folio / DPID/ Client ID No.	No. of Shares	Signature

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

ENTRY PASS

Extraordinary General Meeting

Date &Time : 25th March, 2019 at 11.00 A M.

(To be retained throughout the meeting)

Name : in BLOCK letters /Member / Proxy	Folio / Client ID No.	No. of Shares	Signature

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

(To be surrendered at the Polling counter)

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)	(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		
Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present		

Date : 25th March, 2019